

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10102020-222365
SG-DL-E-10102020-222365असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211]	दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 10, 2020/आश्विन 18, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 158
No. 211]	DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10, 2020/ASVINA 18, 1942	[N. C. T. D. No. 158

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2020

सं. फा. (32)/रोड टैक्स/टीपीटी/2020/डीसी/ऑप्स/टीपीटी/2020/62/57916.—दिल्ली मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1962 (1962 का संख्या 57) की धारा 13 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल एतद्वारा इस अधिनियम की अनुसूची- I के भाग ए के कॉलम I, II, III और IV तथा अनुसूची- I के भाग बी में वर्णित सभी बैटरी इलैक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले कर को छूट प्रदान की जाती है जो कि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

शशि कौशल, विशेष आयुक्त (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th October, 2020

No. F(32)/Road Tax/TPT/2020/DC/OPS/TPT/2020/62/57916.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 13 of the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962 (number 57 of 1962), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the tax levied upon all Battery Electric Vehicles described in column I, II, III and IV of Part A of Schedule-I and Part B of Schedule-I of this Act w.e.f., date of issue of this notification.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

SHASHI KAUSHAL, Spl. Commissioner (Transport)

WWW.TAXSCAN.IN